2022/71

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राज0)

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
मंजुकंवर पत्नि श्री पाबूसिंह जाति राजपूत निवासी नाना तहसील बाली जिला पाली वगैरा		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली वगैरा

राजस्व विविध प्रकरण सं. /2022 GCMS NO. /

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151, 152 सी.पी.सी.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
15.02.2022	वकील प्रार्थीगण श्री राजेन्द्रसिंह पंवार उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 10/2021 GCMS No.2021/25 अनवान् मंजुकुंवर वगैरा बनाम तहसीलदार, बाली वगैरा अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 निर्णित किया गया। पारित आदेशिका दिनांक 03.03.2021 से प्रार्थीगण के पुर्वज पति/पिता के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम **बाबुसिंह** की जगह पर सही व शुद्ध नाम **पाबुसिंह संशोधन दुरस्त** किये जाने के आदेश पारित किये गये। पारित आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली/नायब तहसीलदार, नाना व पटवारी हल्का, नाना के नाम जारी तहरीर पत्रांक/ कोर्ट/ 2021/ 184–186 दिनांक 4.03.2021 में सहवन से ग्राम खारडा पटवार हल्का, नाना में प्रार्थीगण परिवार द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि खसरा नंबर 1526, 1527 कुल खसरा–02 कुल रकबा 0.74 हैक्टर का उल्लेख नहीं किये जाने से पटवारी हल्का, नाना द्वारा खारडा में स्थित भूमि खसरा नंबर 1526, 1527 कुल खसरा–02 कुल रकबा 0.74 हैक्टर में त्रुटिपुर्ण नाम **बाबूसिंह** यथावत रखा है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में इस भूमि का भी उल्लेख किया गया था एवं साथ में जमाबंदी की प्रति भी प्रस्तुत की गई थी। अतः न्यायालय द्वारा जारी तहरीर में हुई त्रुटि को दुरस्त कर ग्राम खारडा पटवार हल्का, नाना के खसरा नंबर 1526, 1527 कुल खसरा–02 कुल रकबा 0.74 हैक्टर में भी नाम संशोधन बाबत् आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो का अवलोकन किया गया। उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या मामला लिपिकीय त्रुटि का होना पाया जाता है। प्रकरण राजस्व विविध में पंजिबद्ध किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में न्यायालय की निर्णित पत्रावली राजस्व विविध 10/2021 अनवान मंजु कुंवर वगैरा बनाम राज. सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली वगैरा अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 आदेश दिनांक 03.03.2021 तलब की गई। निर्णित पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित भूमि विवरण एवं इसके समर्थन में प्रस्तुत संलग्न जमाबंदीयो का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न अन्य भूमियो की जमाबंदी के साथ ग्राम खारडा पटवार हल्का, नाना के खसरा नंबर 1526, 1527 कुल खसरा–02 कुल रकबा 0.74 हैक्टर की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 की फोटो प्रति भी पाई गई। न्यायालय द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित भूमियो की प्रार्थीगण द्वारा नवीनतम कम्प्युटराईज्ड जमाबंदीया पेश की गई थी, जबकि खारडा के खसरा नंबर 1526, 1527 की पुरानी जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 की प्रस्तुत की गई थी वह भी पत्रावली में कम्प्युटराईज्ड जमाबंदीया की निरन्तरता में न होकर अन्य दस्तावेजो के साथ संलग्न की गई, जिससे इन खसराजात का उल्लेख लिपिकीय त्रुटि से जारी तहरीर में नही हो सका। इस संबध में संशोधित दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 152 में वर्णित विधि के प्रावधानो का अध्ययन किया गया। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं धारा 151, 152 सी.पी.सी. में वर्णित प्रावधानो पर	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के पुर्वज पति/पिता द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि ग्राम खारड़ा पटवार हल्का, नाना के खसरा नंबर 1526 व 1527 कुल खसरा–02 कुल रकबा 0.74 हैक्टर में दर्ज **त्रुटिपुर्ण नाम बाबूसिंह** की जगह पुर्व निर्णित प्रकरण की आदेशिका दिनांक 03.03.2021 के अनुसार सही व **शुद्ध नाम पाबूसिंह दर्ज** किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की की प्रति तहसीलदार, बाली/नायब तहसीलदार, नाना व पटवारी हल्का, नाना को रेकर्ड में अमल दरामद हेतु पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर पुर्व निर्णित प्रकरण रावि संख्या 10/2021 अनवान मंजु कुंवर वगैरा बनाम तहसीलदार बाली वगैरा अंतर्गत धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 के संलग्न होकर संख्या से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन, उपखण्ड अधिकारी बाली